"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2017—आषाढ़ 2, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, यशवंत कुमार देशमुख आ. स्व. कन्हैया लाल देशमुख, उम्र 53 वर्ष, निवासी-म. नं. 863, स्ट्रीट नं.-01, आशीष नगर, वेस्ट रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेंस, पेन कार्ड में मेरा नाम यशवंत कुमार देशमुख दर्ज है, जो कि सही है किन्तु मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम यशवंत कुमार आ. स्व. कन्हैया लाल दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम/उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम यशवंत कुमार देशमुख रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे यशवंत कुमार देशमुख आ. स्व. कन्हैया लाल देखमुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
यशवंत कुमार पिता-स्व. कन्हैया लाल निवासी-म. नं. 863, स्ट्रीट नं.-01, आशीष नगर, वेस्ट रिसाली, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	यशवंत कुमार देशमुख पिता-स्व. कन्हैया लाल देशमुख निवासी-म. नं. 863, स्ट्रीट नं.-01, आशीष नगर, वेस्ट रिसाली, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, झमित कुमार साहू, आत्मज सुरेश साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी-ग्राम-तिलई, पोस्ट-पदुमतरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेंस में मेरा नाम झमित कुमार साहू पिता सुरेश साहू दर्ज है जो कि सही है, किन्तु कक्षा 5वीं, आठवीं व दसवीं की अंकसूची में मेरा नाम झमित कुमार सोनवानी, आ. सुरेश सोनवानी, माता श्रीमती चन्द्रिका सोनवानी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम झमित कुमार साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे झमित कुमार साहू आ. श्री सुरेश साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
झमित कुमार सोनवानी पिता-श्री सुरेश सोनवानी माता-श्री चन्द्रिका सोनवानी निवासी-ग्राम-तिलई, पोस्ट-पदुमतरा, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) पिन-491441	झमित कुमार साहू पिता-श्री सुरेश साहू माता-श्री चन्द्रिका साहू निवासी-ग्राम-तिलई, पोस्ट-पदुमतरा, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) पिन-491441

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तोरनलाल वर्मा, आत्मज-स्व. बेनलाल वर्मा, उम्र 56 वर्ष, जाति-कुर्मी, निवासी-5/सी, सड़क-11, सेक्टर-01, वार्ड-38, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम तोरनलाल वर्मा दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम तोरन लाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम तोरनलाल वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे तोरनलाल वर्मा आ. स्व. बेनलाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
तोरनलाल (Toran Lal) पिता-स्व. बेनलाल निवासी-5/सी, सड़क-11, सेक्टर-01, वार्ड-38, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तोरनलाल वर्मा (Toran Lal Verma) पिता-स्व. बेनलाल वर्मा निवासी-5/सी, सड़क-11, सेक्टर-01, वार्ड-38, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

प्रारूप
[देखे नियम 5 (1)]

दुर्ग, दिनांक 06 मई 2017

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/852/प्र. 2/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2017.— यत: कि श्री वासुदेव शर्मा आ. स्व. भागवत प्रसाद निवासी 47/6 नेहरूनगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा गायत्री शक्तिपीठ चेरिटेबल ट्रस्ट भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन दिया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30-05-2017 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	गायत्री शक्तिपीठ चेरिटेबल ट्रस्ट भिलाई 47/6 नेहरू नगर पूर्व भिलाई तहसील व जिला दुर्ग
(2)	चल संपत्ति	:	19,43,096.00 (उन्नीस लाख तिरालिस हजार छियानवे रुपये मात्र) (सिक्यूरिटी डिपाजिट/एडवांस लीज रेंट/एफडीआर एवं बैंक में जमा)
(3)	अचल संपत्ति	:	52,20,611.00 (अक्षरी बावन लाख बीस हजार छह सौ ग्यारह रुपये मात्र) (बिल्डिंग/कम्प्यूटर/सीसीटीवी कैमरा/इलेक्ट्रिक फीटिंग/फर्नीचर एवं अन्य)

कैलाश वर्मा,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.